



आयकर आयुक्त का कार्यालय, मैसूर

**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME – TAX, MYSORE**

पता: 55/1, शिल्पश्री, विद्यारण्य भवन, विश्वेश्वरनगर, मैसूर

(Address 55/1, SHILPASHREE, VIDYARANYA COMPLEX, VISHWESHWARANAGAR, MYSORE- 570003)

दूरभाष: 0821 2480260 व 2485276 (कचेरी), 0821-2480261 (फैक्स), 0821-2480042

(Phone: 0821-2480260 & 2485276 (Office), 0821-2480261 (Fax), 0821-2480042)

फा.स एस-475/12ए ए/आ.आ//मैसूर/09-10

F.No.S-475/12AA//CIT/MYS/2009-10.

दिनांक/Dc: 01.03.2010

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन प्रमाण-पत्र**  
**CERTIFICATE U/S12 A.A. OF THE I.T. ACT-1961**

स्पंदन ट्रस्ट (नि.),

# 594, 6 क्रॉस,

स्वर्णसंद्र, वार्ड सं 32,

मंड्य

Spandana Trsut,

# 594, 6<sup>th</sup> Cross,

Swarnasandra, Ward No. 32,

Mandya

ट्रस्ट ने निर्धारित प्रारूप में दिनांक **07.12.2009** तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन फाईल किया है। ट्रस्ट द्वारा फाईल किए गए आवेदन के सत्यापन के बाद दिनांक **07.12.2009** से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

The Trust has filed the Registration application u/s12 A.A. of the I.T. Act-1961 in the prescribed form on **07.12.2009** After verifying application filed by the Trust Registration is granted u/s 12 A.A. of Income Tax Act w.e.f. **07.12.2009**

2. इस कार्यालय द्वारा रख-रखाव किए गए रजिस्टर में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन आवेदन की सं. एस-475/12ए ए/आ.आ//मैसूर/09-10 में प्रविष्टि की गई है।

2. The application has been entered at No.S-475/12AA/CIT/Mys/09-10 in the Register of application u/s 12 A.A. of the I.T. Act-1961 maintained in this Office.

3. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन मात्र पंजीकरण होना न्यास की आय को छूट नहीं दिलाती। इसके साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन उपर्युक्त पंजीकरण, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन कटौती के लिए न्यास को किसी भी प्रकार का कोई दान के लिए योग्य अथवा धारा 10 के अधीन किसी भी प्रकार की छूट के लिए पात्रता नहीं प्रदान करती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन लाभ उठाने हेतु संबंधित आयकर आयुक्त के समक्ष अलग से आवेदन लेखा सहित फाईल किया जाना जरूरी है जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है।

3. The Registration u/s 12 A.A. of the Income-Tax Act, 1961 does not automatically exempt the Income of the Trust. Also, the above Registration u/s 12 A.A. of the I.T.



*[Handwritten signature]*  
01/03/10